संख्या:27/2025/1077ई-2/तेरह-2025-1862073

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 10 सितम्बर, 2025

विषयः-मेसर्स डालमिया भारत शुगर इण्डस्ट्रीज लि. (डिस्टलरी यूनिट), ग्राम बीकापुर पोस्ट सौतेरा (बघौली), जनपद हरदोई द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-70/दो-प्रा.डी.-110/बघौली शुगर, 01-10-2024, पत्र संख्या:जी.-34/दो.-प्रा.डी.-110/बघौली शुगर एण्ड डिस्टलरी, दिनांक 07-07-2025 एवं पत्र संख्या:जी.-45/दो.-प्रा.डी.-110/बघौली शुगर एण्ड डिस्टलरी, दिनांक 26-08-2025 तथा प्रकरण में दिनांक 02.09.2025 को अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या:1076 ई-2/तेरह-2025-1862073 दिनांक 10.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व हित व रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स डालमिया भारत शुगर इण्डस्ट्रीज लि. (डिस्टलरी यूनिट), ग्राम बीकापुर पोस्ट सौतेरा (बघौली), जनपद हरदोई द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./अब्सोल्यूट अल्कोहल/एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) यह अनुमति मात्र पी.डी.-33 अनुज्ञापन हेतु है, इससे इकाई को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इकाई के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई का होगा।

(3) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) इकाई द्वारा अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु प्रयुक्त फीड एवं उत्पादित अल्कोहल के अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी शासनादेश संख्या:1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09.12.2024 का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26.03.2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(6) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(7) प्रस्तावित आसवनी के कार्य दिवस संचालन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनुमति के अनुसार रहेंगें।

(8) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(9) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(10) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(11) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(12) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(14) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(15) माननीय न्यायालय द्वारा मिल अथवा उसके किसी भी भाग हेतु पारित आदेश के अनुपालन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अध्यासी का होगा।

(16) इकाई द्वारा राजस्व / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भूमि के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा स्थिति स्पष्ट करा ली जायेगी।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्या:27/2025/1077(1)ई-2/तेरह-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ.प्र. शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) गार्ड फाइल।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in